



Neutral Citation No.- 2026:AHC:13796

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 43506 वर्ष 2024

रोहित भारती

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सत्येंद्र कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अरविंद कुमार कुशवाहा, शासकीय अधिवक्ता, पूजा

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता सुश्री पूजा, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक, वाराणसी जिले के सिगरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 504, 506 और 302 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 161/2024 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् कन्हैया @ शिवम गौड़ और विशाल @ विकास कुमार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-40814 और 2025 के 3728 में पारित दिनांक 06.01.2026 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश के माध्यम से पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, क्योंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिन लोगों को पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, वह समानता के आधार पर ज़मानत पर बंधे होने का भी हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय इसके कि इस मामले के बाद उस पर यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक मामला थोपा गया था और उसने अभी तक ज़मानत के लिए आवेदन नहीं किया है। वह 27.06.2024 से जेल में बंद हैं। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के पूर्वोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उनके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/स्कोर/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

7. आवेदक- रोहित भारती, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!